ग्राम पंचायत सिहल, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत सिहल , विकास खण्ड नारकंडा , जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति रिकू वर्मा	23/01/2011 से 23.01.2016
2	श्री हरीश भोहटा	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री प्रवीण कुमार	13/07/2012 से 09.03.3016
2	श्री दिला राम	10.03.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत सिहल , के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-Asi

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5(ख)	बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों के बीच अंतर पाया जाना	1.01
2	6	ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में आय को लेखांकित नहीं किए जाने के परिमाणस्वरूप दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे	0.05
3	7(क)	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय के सम्बन्ध में रसीद इत्यादि जारी न करना	3.06
4	7(ख)	प्राप्त आय को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर व्यय करना	0.78
5	10	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया	0.32

		जाना	
6	11	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो की राशि का उपयोग न करना	26.63
7	12	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	4.03
8	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	3.82
9	14	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना	5.33
10	15	भुगतान के सम्बन्ध में वाऊचर इत्यादि आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	2.10

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सिहल, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 2.08.2016 से 5.08.2016 के दौरान नारकंडा में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	8/2013	8/2013
2014-15	1/2015	6/2014
2015-16	7/2015	10/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत सिहल, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 91/2016 दिनांक 05.08.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सिहल से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत सिहल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत (Own Sources):- ग्राम पंचायत सिहल की अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 स्व स्त्रोत एवं Grant in Aid (Other than MG NREGA & Integrated Water Shed Project) की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न दिया गया है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट- 1(क) तथा 1(ख) पर दिया गया है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही MG NREGA & Integrated Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों को Own Sources की आय सहित बैंक खातों में इकट्ठा जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए है। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है।

Financial Position of Panchayat Sihal Block Narkanda Distt Shimla

Own Sources GIA (Other than MG NREGA & IWSDP)

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing balance
2013-14	1429618.00	1240961.00	65701.00	2736280.00	693863.00	2042417.00
2014-15	2042417.00	1174679.00	82418.00	3299514.00	1076082.00	2223432.00
2015-16	2223432.00	2018713.00	90248.00	4332393.00	1674196.00	2658197.00

Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances भी सम्मलित किये गये है।

(ख) अनुदान(Grant in Aid):- ग्राम पंचायत सिहल की अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 की अनुदानों (MG NREGA & Integrated Water Shed Project) की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1(ग) में भी दिया गया है।

Consolidated Financial Position of MG Nrega & Integrated Water Shed Project in R/o Panchayat Sihal Block Narkanda Distt. Shimla						
Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	15737.00	619430.00	4367.00	639534.00	70513.00	569021.00

2014-15	**569021.00**	**652790.00**	**11698.00**	**1233509.00**	**1021765.00**	**211744.00**
2015-16	**211744.00**	**621235.00**	**8108.00**	**841087.00**	**836470.00**	**4617.00**

Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances भी सम्मिलित किये गये है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत सिहल की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 **के नियम** 15(1) **के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत सिहल द्वारा अवधि** 4/2013 **से** 3/2016 **के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में ₹100715 का अन्तर था। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या** 89/2016 **दिनांक** 03.08.2016 **के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत को इस अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था। इस बारे सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण यह अंतर है, जिसका बैंक समाधान विवरणी बना कर समाधान किया जायेगा। अत: नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

रोकड़ बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2016 **को अंतिम शेष** (Note :- **दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances को भी सम्मलित किया गया है)**	**2658197.00**

Detail of Bank Balances

Cash in Hand	**0**
Account No. 0089 of HPSC Bank Narkanda	**1950260**
Account No. 6610 of HPSC Bank Narkanda	**75845**
Account No. 4829 of HPSC Bank Narkanda	**235667**
Account No.17087 of HDFC Bank Shiloru	**295710**
Total	**2557482**
Difference	**100715**

6 ग्राम पंचायत की रोकड़ बही में ₹5093 की आय को लेखांकित नहीं किए जाने के परिमाणस्वरूप दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे

ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आय से संबन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि रसीदों , जिनका विवरण निम्न दिया गया है, के द्वारा पंचायत वासियों से विभिन्न कार्यों दिवसों को विभिन्न प्रकार की आय एकत्रित की गई थी, परंतु इन रसीदों से प्राप्त आय को वर्तमान समय तक न तो रोकड़ बही में लेखांकित किया गया और न ही ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाया गया था। परिणामस्वरूप ₹5093 की आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना प्रतीत होती है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 89A/2016 दिनांक 03.08.2016 द्वारा इस राशि को वर्तमान समय तक रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने और संबन्धित बैंक खाते में जमा न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने बारे आग्रह किया गया था , परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: ₹5093 जिसे वर्तमान समय तक न तो रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है और न ही संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाया गया है , के बारे में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए, साथ ही ₹5093 को ब्याज सहित उचित माध्यम से वसूल करके ग्राम पंचायत निधि में शीघ्र - अतिशीघ्र जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date	Receipt No. under which Income has been collected.	Amount
04.10.2013	392	2000
23.05.2013	1001 to 1100	2810
16.11.2015	1166	283
	Total	5093

7 ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आय से संबन्धित अनियमितताए

(क) रोकड़ बही में लेखांकित आय की ₹3.06 लाख के सम्बन्ध में रसीदें इत्यादि जारी न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी, उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरण अनुसार अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान ₹305783 की

प्राप्त आय के बदले में सचिव द्वारा रसीदें जारी नहीं की गई थी। अत: इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) प्राप्त आय की ₹0.78 लाख को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना सीधे तौर पर व्यय करना

नियमानुसार सर्वप्रथम प्राप्त आय को पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाना और उसके उपरांत विभिन्न व्ययों हेतु बैंक खाते से राशि आहरित करके अथवा बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाना अपेक्षित था । अंकेक्षण में प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य दिवसों को ₹134035 की आय विभिन्न आय शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त की गई थी , इस प्राप्त राशि में से निम्न विवर्णानुसार ₹77879 को पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर विभिन्न व्ययों हेतु भुगतान के लिए प्रयोग किया गया था। इस प्रकार आय को सीधे तौर पर व्यय करना अपने आप में एक वित्तीय अनियमितता है। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही भविष्य में प्राप्त आय को सर्वप्रथम पंचायत के बैंक खाते में जमा करने के उपरांत इसे भुगतान हेतु प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Type of Receipt	Date	Amount	Type of Expenditure	Cash Book P.No.	Date	Amount of Expenditure
Rent	08.01.2015	10000.00	For Panchyat Bhawan Repair	28	08.01.2015	10000.00
Misc. Income	01.04.2014 & 26.07.2014	44035.00	For payment of Electricity Bill & Repair of Panchyat Bhawan	20 &23	01.04.2014 & 26.07.2014	44035.00
Rent Income	11.09.2015	75000.00	For Repair of Panchyat Bhawan		11.09.2015	18844.00 Balance 56155.00 deposited on Dt. 11.09.2015
Rent Income	28.10.2015	5000.00	For Repair of Computer(Voucher not in Records)	46	28.10.2015	5000.00
Total		134035.00	Total			77879.00

8 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -3 में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि को रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही पंचायत का अनुमोदन लेकर इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व की ₹0.32 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -4 में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व की ₹0.32 लाख की वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

11 अनुदान की ₹26.63 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2016 को कुल ₹2662814 उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि में से ₹4617 MG NREGA और Integrated Water Shed Project से संबन्धित थी जबकि शेष ₹2658197 स्व: स्रोत्रों और अन्य अनुदानों से संबन्धित थी। अत: दिनांक 31.03.2016 तक अन्य अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के संकलित अन्तिम शेष में से अन्य अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अन्य अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इन अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹4.03 लाख का व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-5 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹403234 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया , जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: निर्माण कार्यों पर किए

गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.82 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अंतर्गत स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-6 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹381924 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय किए गए ₹5.33 लाख के स्थाई एवं अस्थाई के भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि यां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार की उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹532777 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण परिशिष्ट-7 में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत इनको भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 ग्राम पंचायत द्वारा किए ₹2.10 लाख के भुगतान के सन्दर्भ में वाऊचर/अभिलेख इत्यादि उपलब्ध न करवाना

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए विभिन्न भुगतान जिनका विवरण निम्न दिया गया है, से संबन्धित वाउचर/अभिलेख अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Vr. No.& Date	Cash Book Page No.	Amount of Expenditure	Detail of Payment	Remarks
50 Dt. Nil		10480.00	P/T HP CSCorp. Narkanda for P/O 40 Bags of Cement	No Voucher in records.
Nil Dt. 17.09.2013	13	200000.00	Shown paid to DPO Shimla through Cheque No. 452581	No Voucher in records.

Total 210480.00

16 ग्राम पंचायत द्वारा ₹4220 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए विभिन्न भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न मामले में ₹4220 का अधिक भुगतान किया गया था , इस अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इसकी वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए। अत: इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Vr. No.& Date	Cash Book Page No.	Amount of Expenditure	Material Received as per detail attached	Excess Payment	Remarks
35, 40 Dt. 14.08.2013 & 07.11.2013	11 & 14	12340.00 (4220+8120)	Paint Material 4220/- Tank 3900/- 8120/-	4220/- (12340-8120)	Amount Paid to Maha Maya Trading Agency for purchase of Paint & Tank Bill No. 2912 Dt. 16.10.2013 & 14.08.2013

17 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड एबसट्रेक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)

10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

18 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विविध अनियमितताए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व: स्रोत्र से प्राप्त आय और अनुदानों से संबन्धित आय को बैंक में दो खातों में जमा किया जायेगा। यह खाते पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B होगे। पंचायत फ़ंड - A में ग्राम पंचायत के स्व : स्रोत्र आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड - B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा साथ ही प्राप्त स्व: स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को 8 विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था , जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अत: पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MNAGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MG NREGA	इस रोकड़ बही में MG NREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Integrated Water Shed Grant	इस रोकड़ बही में Integrated Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत सिहल द्वारा हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) में वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही का निर्माण नहीं किया गया था, जैसे कि वर्ष के अंत में रोकड़ बही में पंचायत सचिव द्वारा Cash in hand

के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म-7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय- व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत सिहल द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ड़) अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अत:

उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत सिहल द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही सभी रसीदों को जारी किए जाने से पूर्व स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए।

20 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

21 निष्कर्ष:- लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 18/2016–खण्ड–1– 5578–5581 दिनाँकः 24.10.2016 शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत सिहल, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.